न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 15/2017

1 सुभाषचन्द्र मील पुत्र गणपत सिंह जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जयसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी तत्कालीन तहसीलदार सीकर निवासी यूनिक स्कूल के पास पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 भगवान सिंह पुत्र जैसाराम जाति जाट तत्कालीन पटवारी ग्राम कटराथल निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट आदेश 39
नियम 2क सीपीसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सीकर आवेदन पत्र 67/2016 निर्णय दिनांक 20.04.17

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः—1-2-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 67/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का आवेदन उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया था कि प्रार्थी महेन्द्र सिंह के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश किया जो महेन्द्र सिंह बनाम भगवान सिंह के नाम से जिस पर न्यायालय दिनांक 15.07.2011 को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है कि खसरा नम्बर 71,101,407,409,410,459,411,412,458,460,461 कुल किता 11 कुल रकबा 7.18 हैक्टेयर ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे विकय व स्थानान्तरण नही करने के आदेश दिये गये थे प्रार्थी द्वारा एक दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा की आवेदन बउनवानी सुभाष बनाम खुशीराम का विचारण न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें दिनांक 03.11.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी उक्त डिक्री में खसरा नम्बर 86,460,409,410,411 व 412 का मौका प्रस्ताव मंगवाया गया था। जिन्हे दिनांक 30.01.2012 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये गये। वह तहसीलदार सीकर को आदेश दिये गये कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो नियमानुसार अमल दराज करें। महेन्द्र बनाम भगवान सिंह दावे में स्थगन होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 31.01.2012 को गलत रूप से नामान्तकरण भर दिया जिससे अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने के कारण सिविल कारावास व जुर्माना से दण्डित किये जाने के आदेश प्रदान करने के कारण कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का आवेदन पेश किया गया जिस पर अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तलब किये जाने के बावजूद भी हाजिर नही आये जिसमे विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा यह कहकर कि अप्रार्थीगण स्थगन वाले प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही थे तथा अप्रार्थी को उक्त स्थगन की जानकारी थी या नही थी स्पष्ट नही है ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात व साक्ष्य पेश किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी न्यायालय के आदेशो के बावजूद की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया हो। यह कहकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट प्रमाणित नही होने के कारण खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी महेन्द्र सिंह के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश किया जो महेन्द्र सिंह बनाम भगवान सिंह के नाम से जिस पर न्यायालय दिनांक 15.07.2011 को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया कि खसरा नम्बर 71,101,407,409,410,459,411,412,458,460,461 कुल किता 11 कुल रकबा 7.18 हैक्टेयर ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे विक्रय व स्थानान्तरण नही करने के आदेश दिये गये थे प्रार्थी द्वारा एक दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन बउनवानी सुभाष बनाम खुशीराम का विचारण न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 03.11.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी उक्त डिक्री में खसरा नम्बर 86,460,409,410,411 व 412 का मौका प्रस्ताव मंगवाया गया था जिन्हे दिनांक 30.01.2012 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये गये। वह तहसीलदार सीकर को आदेश दिये गये कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो नियमानुसार अमल दराज करें। महेन्द्र बनाम भगवान सिंह दावे में स्थगन होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 31.01.2012 को गलत रूप से नामान्तकरण भर दिया जिससे अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने के कारण सिविल कारावास व जुर्माना से दण्डित किये जाने के आदेश प्रदान करने के कारण कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का आवेदन पेश किया गया जिस पर अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तलब किये जाने के बावजूद भी हाजिर नही आये। उसके बाजवूद भी विचारण न्यायालय ने बिना पत्रावली का अध्ययन किये गलत रूप से आदेश

भू-प्रबन्धे अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित किया जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय के स्थगन की जानकारी होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अवमानना आदेश की अपील खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय के स्थगन की जानकारी होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है।ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1-2-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर